भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5928

उत्तर देने की तारीख 30 मार्च, 2026

सोमवार, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक)

आईटीआई का आधुनिकीकरण

5928. श्रीमती शांभवीः
श्री राजेश वर्माः
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः
श्री अरुण भारतीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर बिहार और आंध्र प्रदेश में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आधुनिक बनाने और कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विशेषकर समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई और राजामुंद्री लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण, अवसंरचना के विकास और हब-एंड-स्पोक संस्थान मॉडलों के माध्यम से आईटीआई के उन्नयन का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए नई उद्यमिता प्रोत्साहन पहल प्रस्तावित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रमों के लिए कुल कितना बजटीय आबंटन किया गया है; और

(ङ) उक्त उपायों का देश में नियोजनीयता, उद्योग हेतु तत्परता और युवा सशक्तिकरण पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) सरकार ने उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन योजना (पीएम-सेतु) योजना की घोषणा की है ताकि सेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को बढ़ाया जा सके। इस योजना का कुल परिव्यय ₹60,000 करोड़ (केंद्रीय हिस्सेदारी ₹30,000 करोड़, राज्य हिस्सेदारी: ₹20,000 करोड़ तथा उद्योग हिस्सेदारी: ₹10,000 करोड़) है।

यह योजना निम्नलिखित दो घटकों से मिलकर बनी है:

i. घटक-I - हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत 1,000 राजकीय आईटीआई (200 हब आईटीआई एवं 800 स्पोक आईटीआई) का उन्नयन। इस उन्नयन में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना, आधुनिक प्रयोगशालाओं का विकास, डिजिटल शिक्षण सामग्री तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम शुरू किया जाना शामिल हैं।

ii. घटक-II - भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर तथा लुधियाना स्थित पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता वृद्धि करना, जिसके अंतर्गत कौशल विकास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करते हुए तथा वैश्विक साझेदारी के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।

पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत आईटीआई का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उद्योग के साथ परामर्श करके किया जाता है, ताकि उभरती कौशल आवश्यकताओं तथा स्थानीय औद्योगिक संभावनाओं के साथ समुचित सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उद्योग साझेदारों के सहयोग से उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने योजना के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने, व्यापक नीतिगत दिशा निर्धारित करने, प्रचालन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने, निगरानी करने तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय करने के उद्देश्य से सचिव, एमएसडीई की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समितियों (एनएससी) का गठन किया है, जो इस योजना की शीर्ष स्तर की निकाय है। इसी प्रकार, 32 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने स्तर पर राज्य संचालन समिति (एसएससी) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है जो समिति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करने वाली

शीर्ष निकाय है। 19 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने उद्योगों की अभिरुचि आमंत्रित करने के लिए अपने प्रस्ताव जारी किए हैं। विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के गठन हेतु उद्योग भागीदार के चयन के लिए उद्योग द्वारा प्रस्ताव हेतु अनुमोदन (आरएफ़पी) के प्रत्युत्तर में कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) प्रस्तुत करना आवश्यक है।इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान हेतु संस्थान प्रबंधन समिति (आईएससी) का नेतृत्व करने के लिए उद्योग भागीदार आमंत्रित करने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी की जाती है।

पीएम-सेतु योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने प्रायोगिक चरण के लिए दो (2) क्लस्टर अभिचिन्हित किए हैं जिनमें हब आईटीआई पटना और दरभंगा जिलों में स्थित हैं। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश राज्य ने योजना के अंतर्गत प्रायोगिक चरण के लिए एक (1) क्लस्टर चिन्हित किया है, जिसका हब आईटीआई, विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। हालाँकि, हब-एंड-स्पोक आईटीआई क्लस्टरों को वित्तीय सहायता हेतु अंतिम रूप उद्योग भागीदारों की प्रतिक्रिया तथा एनएससी द्वारा एसआईपी की स्वीकृति के आधार पर दिया जाएगा।

(ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न पहलें की गई हैं। वर्ष 2025 के दौरान, स्व-रोजगार, उद्यम सृजन तथा सतत आजीविका को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) तथा संभावित सूक्ष्म उद्यमियों के लिए अनेक उद्यमशीलता-आधारित पहलें कार्यान्वित की गईं। ये पहलें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवाई 4.0), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कुशल भारत मिशन के अनुरूप संरेखित की गई हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, अर्थात राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) तथा भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) तथा उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रमों (ईएसडीपीएस) का कार्यान्वयन किया है, ताकि समाज के सभी वर्गों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जा सके। ये ईडीपीएस तथा ईएसडीपीएस इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि इनमें उद्यमशीलता, वित्तीय तथा प्रबंधकीय कौशलों का विकास किया जा सके और साथ ही, प्रशिक्षण उपरांत मेंटरशिप, हैंडहोल्डिंग, ऋण/वित्त की सुलभता, बाजार-संपर्क तथा इनक्यूबेशन सुविधाओं के माध्यम से सहयोग भी प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवाई 4.0) के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को विविध कैरियर पथ अपनाने हेतु सशक्त बनाने पर बल दिया गया है जिसके लिए उपयुक्त उन्मुखीकरण

प्रदान किया जाता है। इसमें ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) युक्त उद्योग-अनुरूप कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से उद्यमशीलता तथा आजीविका सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत आईटीआई पाठ्यक्रम में सभी ट्रेडों के लिए रोजगार योग्यता कौशल मॉड्यूल के अंतर्गत पहले वर्ष में 15 घंटे तथा दूसरे वर्ष में 12 घंटे का उद्यमशीलता संबंधी विषय-वस्तु शामिल की गई है।

इसके अलावा, कुशल भारत डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म को एक समेकित मंच के रूप में शुरू किया गया है, जो कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार एवं उद्यमशीलता इकोसिस्टम को एकीकृत करते हुए विभिन्न हितधारकों को जीवनपर्यंत सेवाओं की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराता है। सिद्ध पोर्टल पर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का विवरण उपलब्ध है, जिससे उन्हें संभावित नियोक्ताओं से जोड़ने में सहायता मिलती है। सिद्ध के माध्यम से अभ्यर्थियों को रोजगार, शिक्षुता के अवसरों तथा अन्य सुविधाओं, जिनमें उद्यमशीलता हेतु ऋण की उपलब्धता सहित अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं।

पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आईटीआई का उद्योग-संचालित विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के माध्यम से उन्नयन करते हुए इसका कार्यान्वयन प्रस्तावित है जो उन्हें पाठ्यक्रम पुनर्रचना, प्रशिक्षण प्रदायी मॉडल, अवसंरचना उन्नयन, उद्योग-संपर्क तथा रोजगार या स्व-रोजगार सुविधा से संबंधित अपेक्षित उपाय प्रस्तावित करने का अधिकार होगा, जो स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं तथा योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे।

(घ) वित्तीय-वर्ष 2025-26 के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता कार्यक्रमों के लिए कुल बजट अनुमान ₹5,749.90 करोड़ है। इसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत कुशल भारत कार्यक्रम हेतु ₹2,700.00 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत संस्थागत प्रशिक्षण हेतु अवसंरचना सुदृढ़ीकरण (एसआईआईटी) के लिए ₹49.90 करोड़ तथा पीएम-सेतु योजना के लिए ₹3,000.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(ङ) सरकार के कौशल विकास अन्तःक्षेपों का प्रभाव, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफ़एम) द्वारा किए गए स्वतंत्र तृतीय पक्ष आकलन के माध्यम से परिचालित होता है, जो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यधीन एक स्वायत्त संस्थान है। आकलन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार संक्षेपित हैं:

I. पीएमकेवाई 4.0 के अंतर्गत, अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) अभ्यर्थियों में प्रशिक्षण से पूर्व नियोजित तथा स्व-रोजगार में संलग्न अभ्यर्थियों का संयुक्त अनुपात 26.6% से बढ़कर प्रशिक्षण उपरांत 45.4% हो गया, जो रोजगार परिणामों में 18.8 प्रतिशत अंक की वृद्धि को दर्शाता है। आय से संबंधित सुधार भी परिलक्षित हुए हैं, जिसमें

41.4% एसटीटी अभ्यर्थियों तथा 48.9% पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) वाले अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण तथा प्रमाणन के पश्चात आय में वृद्धि की सूचना दी है। पीएमकेवाई 4.0 ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार किया है तथा लाभार्थियों के एक बड़े वर्ग के लिए कौशल आत्मविश्वास, रोजगार भागीदारी और आय परिणामों में मापनीय सुधार दर्ज किए गए हैं।

II. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना ने आजीविका संबंधी परिणामों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस योजना के अंतर्गत 33.94 लाख व्यक्तियों का नामांकन हुआ, जिनमें से 32 लाख को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 31.52 लाख को प्रमाणित किया गया, जो कुल मिलाकर 99 प्रतिशत की सफलता दर को दर्शाता है। महिलाओं की भागीदारी कुल प्रतिभागियों का 82 प्रतिशत रही, जबकि 73 प्रतिशत लाभार्थी लाभ वंचित वर्गों से संबंधित थे, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (36%) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (37%) शामिल हैं। आजीविका पर इसका प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है: 90 प्रतिशत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने अर्जित कौशलों का उपयोग आय सृजन हेतु किया; 82 प्रतिशत अभ्यर्थी प्रशिक्षण के छह माह के भीतर आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ गए; पूर्व में आय अर्जित न करने वाले 60 प्रतिशत व्यक्तियों ने प्रशिक्षण के पश्चात आय अर्जन करना शुरू किया; लाभार्थियों की औसतन मासिक आय में चार गुना वृद्धि दर्ज की गई।

III. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (पीएमएनएपीएस-2) के अंतर्गत, 46 लाख के संचयी लक्ष्य के तुलना में 34.69 लाख शिक्षुओं को रोजगार प्रदान किया गया, जो कुल मिलाकर लगभग 75 प्रतिशत की उपलब्धि को दर्शाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से संचयी वितरण ₹1,094 करोड़ से अधिक रहा, जिसमें वार्षिक वितरण वित्तीय-वर्ष 2023-24 के ₹327.2 करोड़ से बढ़कर वित्तीय-वर्ष 2024-25 में ₹500.16 करोड़ हो गया, जो संस्थागत क्षमता तथा वित्तीय पारदर्शिता में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा प्रकाशित आईटीआई ट्रेसर अध्ययन के अनुसार, कुल आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से 63.5 प्रतिशत को रोजगार प्राप्त हुआ, जिनमें से 6.7 प्रतिशत ने स्व-रोजगार को चुना।

इसके अलावा, सरकार द्वारा उद्योग संबंधों को मजबूत करने तथा रोजगार परिणामों में सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवाई 4.0) के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को उद्योग-संचालित संस्थाओं द्वारा इस प्रकार तैयार किया गया है कि वे उभरते क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। प्रशिक्षण को भविष्योन्मुख जॉब-रोलों में प्रदान किया गया है, जो उद्योग 4.0 तथा ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों की मांगों को संबोधित करते हैं। जिला कौशल विकास योजनाएँ

(डीएसडीपीएस) जिला कौशल समितियों (डीएससी) द्वारा तैयार की जाती हैं जिनका उद्देश्य जिला स्तर पर कौशल अंतराल का विश्लेषण करना तथा उद्योग-मांग का मैपिंग करना है, ताकि पीएमकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को स्थानीय रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, रोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करने हेतु कुशल भारत डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म को एक एकीकृत मंच के रूप में शुरू किया गया है, जो कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार तथा उद्यमशीलता इकोसिस्टम को समेकित करते हुए विभिन्न हितधारकों को जीवनपर्यंत सेवाओं की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। सिद्ध पोर्टल पर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का विवरण उपलब्ध है, जिससे उन्हें संभावित नियोक्ताओं से जोड़ने में सुविधा होती है। साथ ही, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवाई) का अभिन्न घटक बनाया गया है। नियोक्ताओं तथा अभ्यर्थियों के बीच सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए देशभर में कौशल महोत्सवों का आयोजन किया जाता है।
